डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2002—पौष 21, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-2-13/2001/1-8.—श्री डी. एस. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिनकी सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1637/3358/साप्रवि/2001/2.—श्री व्ही. के. कपू ,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 19-12-2001 से 22-12-2001 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 15 से 18 दिसम्बर, 2001 एवं
23 दिनांक 2001 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह सचिव, वित्त विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री कपूर को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1829/3469/साप्रवि/2001/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 19-12-2001 से 22-12-2001 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15-12-2001 से 18-12-2001 तथा दिनांक 23-12-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्री सिन्हा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश की अवधि में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1831/3140/साप्रवि/2001/2/लीव/आईएएस.—श्री विवेक देवांगन, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 6-8-2001 से 10-8-2001 (5 दिवस) तक का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 11, 12-8-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री देवांगन को, अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवांगन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री देवांगन को उप-सचिव के पद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1717/2001/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग को पात्रतानुसार दिनांक 15-11-2000 से 30-12-2000 तक 46 दिन का लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 31-12-2000 से 6-1-2001 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 7-1-2001 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को पुन: उप-सचिव, वित्त, वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1727/1031/2001/1-8/स्था.—श्री रामप्रकाश, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 19-12-2001 से 6-1-2002 तक 18 दिन अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-12-2001 से 18-12-2001 एवं 6-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामप्रकाश को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री रामप्रकाश, भा. व. से., वि. क. अ. एवं पदेन सचिव, वन विभाग को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामप्रकाश, भा. व. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री रामप्रकाश के अवकाश अवधि में श्री धीरेन्द्र शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, भा. व. से. अपने कार्य के साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग का भी कार्य देखेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5085/467/2001/चिशि.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2378/2001/चिशि., दिनांक 25-5-2001 में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सुरेन्द्र चन्द्राकर, तत्कालीन होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, शासकीय होम्योपैथी औषधालय राजनांदगांव (वर्तमान में शासकीय होम्योपैथी औषधालय, विधान सभा, रायपुर में पदस्थ) जिन्हें सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, को छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करता है तथा उनके द्वारा रिक्त किये जाने वाले पद पर डॉ. दीपक राजिमवाले चौबे कालोनी रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् में सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5124/696/एम/2001/चिशि.—छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 3 (2) के प्रावधान के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद गुहा, सदस्य, रायपुर होम्योपैथिक एवं बायोकेमिक, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय,रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् मे उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2001

क्रमांक 9414/4189/पंग्रावि/2001.—राज्य शासन श्री मणिशंकर अय्यर, सांसद, (लोकसभा) को एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायतीराज व्यवस्था से सुदृढ़ीकरण हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है. श्री मणिशंकर अय्यर, छत्तीसगढ़ में पंचायतीराज संस्थाओं को संविधान के 73वें पंचायतीराज संशोधन अधिनियम के तहत प्रावधानित समस्त कार्यों, कार्मिकों एवं वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन, जनभागीदारी एवं पारदर्शिता के सिद्धांत के आधार पर समय-समय पर राज्य शासन की सहायता करते रहेंगे.

2. श्री अय्यर को राज्य भ्रमण के अवसरों पर राज्य अतिथि माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2001

क्रमांक 2716/2217/3469/श्रम/2001.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2217/3469/श्रम/2001, दिनांक 28-9-2001 के क्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में श्री नूतनेश्वर खोब्रागडे अध्यक्ष, आल इंण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस "एटक" को छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद् में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 6693/डी-2912/21-ब/छग/2001.—श्री डी. एस. जैन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) की सेवाएं प्रमुख सचिव, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 3 अ- 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि वर्णित भूमि का कालम 6 के प्रयोजन के लिए अत्यावश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबन्धों से मुक्ति प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं. (कुल)	रकबा एकड में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं. 7	21	50.64	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा की स्थापना हेतु.

कवर्धा, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 3 अ- 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि वर्णित भूमि का कालम 6 के प्रयोजन के लिए अत्यावश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबन्धों से मुक्ति प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं. (कुल)	रकबा एकड़ में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	राम्हेपुर प. ह. नं. 30	16	42.62	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा की स्थापना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक प्र. क्र. 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कामता	4.66	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक प्र. क्र. 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रेहूंटा	4.42	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक प्र. क्र. 3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जेठूकापा	1.79	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/ 2001/12/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भेड़ीकोना	3.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर. जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	भेड़ीकोना जलाशय योजनांतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-देवसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
216	0.10
217	0.15
235/1	0.05
235/2	0.04
236	0.07
337	0.01
256	0.03
257	0.06
258	0.04
260	0.07
265	0.07
266	0.05
275	0.09
276	0.01
278	0.02
280	0.02
500	0.10
509	0.07
510	0.06
512	0.07
513	0.10
योग 21	1.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—द्वारतरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/03/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-द्वारतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
168	0.01
356	0.10
358	0.01
169	0.05
170/2	0.05
171	0.11
172/2	0.11

(1)	(2)
172/3	0.05
196	0.02
202	0.06
203	0.09
205	0.01
207	0.08
208	0.02
209	0.01
210	0.02
213	0.05
214	0.08
215	0.02
227	0.03
228	0.03
218	0.08
229	0.05
230/9	0.08
230/16	0.04
230/10	0.03
230/18	0.02
230/19	0.02
230/17	0.07
230/20	0.03
324	0.06
325	0.03
326	0.04
339	0.06
341	0.01
342	0.07
344	0.07
345	0.01
350	0.02
352	0.01
357	0.05
योग 41	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—द्वारतरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/03/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.27 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
96	0.22
99	0.15
100	0.05
167	0.11
200	0.16
169	0.10
170	0.28
181	0.28
187	0.18
188	0.15
191	0.15
192	0.08
197	0.08
198	0.05
199	0.23
योग 15	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/04/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-दादरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.90 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	249	0.04
	252	0.07
	257	0.07
	298	0.15
	128	0.04
	129	0.10
	142	0.11
	182	0.11
	205	0.08
	240	0.17
	185	0.38
	193	0.05
	255	0.05
	194	0.05
	195	0.04
	210	0.04
	241	0.14
	248	0.06
	250	0.04
	251	0.04
	254	0.07
योग	21	1.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कोठीगांव जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/05/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-करचाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208	0.13
209	0.01
210	0.16
219	0.05
220	0.07
168	0.01
223	0.04
223/370	0.02

(1)	(2)
224	0.06
225	0.04
226	0.03
228	0.04
230	0.04
231	0.03
233	0.02
235	0.04
236	0.03
239	0.03
240	0.03
241	0.11
247	0.03
248	0.08
275	0.07
277	0.06
313	0.02
314	0.08
315	0.06
331	0.01
332	0.03
333	0.04
334	0.07
359	0.16
360	0.06
योग 33	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—द्वारतरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/06/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-खड़मा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
88	0.03
89.	0.14
योग 2	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—द्वारतरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/07/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-डूमरडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.01
174 / 176	0.21
177	0.27
योग 4	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दुल्हा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/08/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-भैंसामुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
313 / 315	0.26
314 / 316	0.18
343	0.06
योग 5	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दुल्हा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/08/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-ओनवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406	0.13
407	0.08
431	0.25
469	0.10

(1)	(2)
417	0.06
477	0.13
418	0.03
479	0.05
419	0.05
427	0.08
420	0.07
426	0.16
433/1	0.01
472	0.08
480	0.06
485	0.07
493	0.28
494	0.16
501	0.14
512	0.10
513	0.04
515	0.05
516	0.08
517	0.04
520	0.15
521	0.12
योग 26	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओनवा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/09/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
327	0.02
329	0.03
338	0.32
348	0.05
349	0.12
350	0.06
योग 6	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दुल्ला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/10/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्ला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
361	0.17
470	0.15
14, 61	0.16
362, 469	0.30
363, 458	0.19
364/1, 457	0.19
364/2	0.05
377, 379, 456	0.28
79	0.06
376, 378, 455	0.08
380	0.01
425, 426	0.04
419	0.02
415, 422	0.07
424, 427	0.13
416	0.07
412/2	0.05
423/2	0.03
412/1	0.06
420	0.01
423/1, 423/3	0.06
32	0.06
413, 421	0.05
375	0.06
6, 77	0.12
8, 78	0.12
9, 12, 75	0.22
15, 60	0.07
19, 59	0.18
20, 56	0.16
21, 5	0.01
22, 53, 55	0.17
52	0.01
23, 51	0.21
24, 49	0.20
25, 46	0.06

(1)	(2)
26 45	0.06
27 29 44	0.25
42	0.02
30	0.07
41	0.02
33	0.05
योग 71	4.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दुल्ला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/01/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिरवानी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
372	0.024
373/2	0.024
374/1	0.056
375	0.024
377/1	0.024
377/2	0.121
378	0.061
379/1	0.073
379/2	0.048
376/4	0.052
371	0.008
योग 11	0.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2083.00 से 2091.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ठरकपुर, प. ह. नं.-12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.954 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
566/1	0.052
567/1.2	0.069
566/2	0.202
565	0.048

(1)	(2)
570	0.093
606	0.065
664/2	0.085
571	0.004
668/2	0.032
668/3	0.036
568/1	0.202
569/1	
575/1	
663	0.008
568/2	0.032
569/2	
575/2	
666	0.073
634	0.012
649/1	0.178
575/3	0.040
575/5	0.328
649/2	0.198
665	0.105
575/4	0.134
576	0.057
577/2	0.028
574	0.032
605	0.024
604/1	0.351
650/1	0.259
604/2	0.261
604/3	
604/5	0.004
604/7	0.008
632	0.234
633/1	0.020
633/2	0.061
637/1	0.129
637/2	0.020
648	0.012
635	0.020
636	0.097
630	0.079
662/2	0.012
668/1	0.012
664/1	0.129
604/6	0.065
662/3	0.016
662/4	0.028
योग 45	3.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2013.00 से 2041.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/03/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.534 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.036
45	0.558
69	0.327
48/2	0.024
48/3	0.049

	(1)	(2)
	67/1	0.113
	67/2	0.089
	68/1	0.425
	68/2	0.004
	60/1	0.049
	58/4	0.174
	60/2 60/3	0.028
	59	0.170
	58/1	0.773
	58/2	0.049
	58/5	0.113
	58/3	0.222
	100/2	0.008
	58/6	0.048
	101/2	0.065
	60/6	0.109
	70/2	0.101
योग	22	3.534

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2169.00 से 2198.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/04/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मधुबनकला, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
508/4	0.068
507/5	0.024
510/1	0.093
466/6	0.105
511/3	0.040
510/4	0.028
466/7	0.081
466/2	0.042
539/1	0.345
510/3	0.105
508/1	0.081
508/3	0.081
493/1	0.065
686/1	0.202
509	0.202
539/3	0.020
510/2	0.028
687/3	0.012
466/1	0.036
511/4	0.053
508/2	0.081
503/1	0.255
503/2	0.101
548/1	0.202
548/2	0.081
689	0.057
502	0.146
573	0.032
494	0.271
493/2	0.012
572	0.032
495/4	0.101
540/1	0.178
496/2	0.004
496/3	0.053
543	0.057
545	0.028
544	0.085
570/1	0.129
494/1	0.004
504	0.040
686/4	0.198
546/1	0.012
546/2	0.057

(1)	(2)
538 742/1	0.020
538 742/2	0.024
547	0.093
571/1	0.101
571/2	0.202
574/2	0.060
570/2	0.072
570/7	0.045
691	0.324
692	0.012
688	0.032
687/2	0.008
687/5	0.178
686/2	0.008
686/3	0.268
687/1	0.008
687/4	0.052
571/3	0.113
505/3	0.004
542	0.145
574/1	0.008
570/3	0.069
570/5	0.032
570/4	0.029
570/6	0.096
योग 69	5.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2041.00 से 2083.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/05/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घाना, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.312 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.210
1/2	0.060
2	0.121
18/3	0.145
13/2	0.081
33	0.053
15/2	0.012
18/2	0.178
16/1	0.111
16/2	0.406
16/3 16/4	0.070
17	0.142
19	0.073
20	0.133
16/7	0.133
16/6	0.406
योग 16	2.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2306.00 से 2322.50 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/06/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ओटगन, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.913 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/2 97/1	0.097
	113/4	0.008
	95	0.247
	92/3 97/2	0.262
	93	0.093
	94/1	0.109
	96	0.089
	113/10	0.008
योग	8	0.913

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2387.00 से 2394.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/07/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगियाभाठा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.974 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1 7/2	0.324
12/3	0.133
14/3 16/2	0.040
12/2	0.020
12/4	0.142
14/2	0.178
14/6	0.178
21/3	0.093
16/1	0.061
17	0.142
40/2 41/2	0.068
21/1	0.053
9/1	0.191
9/2	0.101
18	0.020
9/22	0.105
19	0.033
8/2	0.146
20/1	0.097
20/2	0.105
9/6 9/7	0.162

	(1)	(2)
	9/17 9/18	0.040
	9/8 9/9	0.126
	7/3	0.024
	8/1	0.109
	4/1	0.016
	9/10	0.097
	9/5	0.170
योग	28	2.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2198.00 से 2221.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/08/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गदहाभाठा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.777 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284/4	0.040
284/5	0.028
284/6	0.024
542/3	0.065
566	0.226
542/2	0.020
285/1 285/2	0.085
288	0.020
251/2	0.012
289	0.254
388/2	0.004
290/1	0.048
290/3	0.097
263/2	0.004
291/1	0.253
251/3	0.024
342/9 342/11	0.097
342/10	0.048
291/2	0.016
291/11	0.024
342/16	0.101
371	0.032
264/1	0.348
498/760	0.162
265	0.028
266	0.242
244	0.569
263/1	0.040
375/1	0.076
260/1	0.162
565	0.032
261/4	0.186
387/2	0.032
387/3	0.024
387/4	0.024
257	0.157
394/1	0.081
394/2	0.081
394/3	0.072
256/1	0.048
500/3	0.012
576/2	0.095
376/1	0.095
378	0.557
393	0.586
497 498	0.445

(1)	(2)
370/1	0.040
385	0.045
386	0.113
544	0.202
562/1	0.057
562/2	0.056
543/1	0.061
543/2	0.028
543/3	0.012
375/2	0.004
256/8	0.028
256/9	0.020
384	0.475
292/3	0.012
392/4	0.233
392/2	0.081
392/5	0.081
395/1	0.065
397	0.004
501/1	0.205
501/2	0.081
501/3	0.041
567/1	0.032
567/2	0.016
547/2	0.372
761/1	0.168
499/3	
499/1	0.162
499/2	0.384
547/3	0.048
542/4	0.024
252/4	0.138
252/5	0.150
283/4	0.032
252/7	0.028
252/6	0.028
256/2	0.036
361/7	0.048
568	0.040
377/4	0.072
377/7	0.004
374	0.004
261/3	0.072
261/5	0.089
261/6	0.101
261/1	0.045
261/2	0.028
252/2	0.036
योग 93	9.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2322.00 से 2387.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/09/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.786 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
256/2	0.097
326/2	0.105
546	0.097
551	0.162
557	0.113
382/1	0.024
255/1	0.049
255/4	0.101
255/3	0.154

(1)	(2)
255/2	0.162
382/4	0.271
257/2	0.057
252/1	0.109
252/2	0.158
253/1	0.020
236/1	0.028
377	0.053
243	0.028
240/2	0.097
238	0.020
244	0.251
242	0.218
240/6	0.052
240/7	0.113
258/2	0.137
245	0.049
326/1	0.101
327	0.093
550/2	0.117
481/1	0.008
325	0.016
329	0.004
330/1	0.154
330/3	0.057
330/2	0.133
330/5	0.137
387	0.142
385/6	0.126
385/3	0.101
385/4	0.065
385/5	0.138
386	0.016
478/1	0.261
481/2	0.056
478/5	0.037
478/3	0.041
478/4	0.041
478/2	0.016
479	0.004
480/1	0.096
480/2	0.101
480/3	0.093
550/3	0.105
374/3	0.049
542/1	0.129
542/2	0.437
545	0.142
547	0.162
548	0.028
549	0.107
554/1	0.008
555	0.113
558/1	0.032
554/2	0.016
556	0.101
559	0.073
558/2	0.032
388/13	0.308
253/2	0.065
योग 69	6.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2084.00 से 2138.00 तक जोंक व्यप मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/10/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प. ह. नं. 13 (11)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
718/1	0.040

(1)	(2)
718/3	0.121
1385/3	0.223
718/2	0.101
718/4	0.020
719/1	0.040
1394	0.129
1393/5	0.012
1338	0.061
720/1	0.040
725	0.384
726	0.032
744/2	0.024
744/3	0.032
746/1	0.024
745	0.032
1369/1	0.004
1385/2	
746/3	0.075
747/2	0.069
746/2	0.024
747/1	0.061
1479/5	0.032
1261/4	0.040
1262/5	0.142
1262/3	0.235
1262/4	
1369/2	0.304
1262/2	0.182
1368/1	0.057
1368/2	
1383/1	0.040
1383/2	0.012
1384	0.243
1385/1	0.096
1402/4	0.012
1400/2	0.121
1401/2	0.133
1399/2	0.016
1397/1	0.061
1395/4-7	0.150
1395/2	0.020
1304/7	0.113
1395/3	0.053
1396/1	0.506
1457	0.162
1393/6	0.069

(1)	(2)
1422	0.012
1423	0.607
1424	0.667
1426	0.008
1432/2	0.112
1420/1	0.122
1420/2	0.036
1431/4	0.016
1346/1	0.061
1346/3	0.133
1346/4	0.091
1346/2	0.121
1347/1	0.028
1347/4	0.012
1432/1	0.021
1347/5	0.069
1304/9	0.105
1304/5	0.089
1397/2	0.028
1304/6	0.072
1386/4	0.081
1306	0.255
1340/1	0.178
1480/3	0.262
1340/2	0.178
1339/2	0.101
1337/4	0.105
1455/1	0.174
1355	0.113
1334/2	0.129
1455/2	0.040
1456	0.097
1455/3	0.061
1455/4	0.044
1455/5	0.020
1452/1	0.263
1481	0.012
1480/2	0.069
1482	0.173
1304/10	0.032
1483/1	0.020
1484/1	
1483/3	0.109
1484/3	

(1)	(2)
1483/2	0.056
1484/2	
1438/2	0.101
1479/9	
1889	0.283
1347/6	0.028
1347/7	0.029
1262/6	0.020
1341/1	0.024
1337/1	0.008
1452/2	0.016
1479/6	0.502
1479/7	0.024
1479/3	0.049
1399/1	0.029
योग 99	10.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2221.00 से 2306.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/11/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बंदारी-1, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.712 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223/1	0.028
223/2	0.008
223/3	0.008
223/4	0.008
223/5	0.008
223/6	0.008
223/7	0.008
224	0.129
225	0.129
226/1	0.028
226/2	0.040
226/3	0.020
226/4	0.016
227	0.012
228	
229	
246/7	0.275
1257	
246/10	0.149
1258	
230/1	0.223
230/2	0.016
231/1ढ़	0.008
231/1थ	0.012
231/1ठ	0.256
231/1ण	0.032
231/1ड	0.101
231/1ट	0.004
230/5	0.101
246/8	0.085
योग 26	1.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 1998.50 से 2013.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक भू-अर्जन/12/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बंदारी 11, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1029/4	0.033
953/1	0.020
1029/5	0.024
942	0.016
953/2	0.033
950	0.077
943	0.049
944	
952	0.146
951	0.081
954	0.061
1029/1	0.012
1187/1	0.036
955	0.197
957/2	
956	0.077
957/1	0.029
938/2	0.109
960	
1170/2	0.024
961/2	0.020
961/1	0.012
962/1	0.032
1040/1	0.028
962/2	0.223
963/2	0.016
1044	0.073
963/1	0.016
1188/1	0.004
964	0.032
1042	0.077
1028/1	0.020
1174	0.065
1028/2	0.012
1178	
1029/2	0.056
1029/3	0.182
1033	0.012
1034/1	0.656
1043/2	
1175	0.069
1035/1	0.024
1035/2	0.008
1041/1	0.056
1041/4	0.135
1172	0.096
1165/2	0.012
1045/2	0.101
938/6	
938/8	0.101
1034/3	0.057
1043/2	
1164/2	0.012
1165/1	0.113
1166	0.012
1167	0.004
1170/1	0.008
1171	0.138
1173/2	0.012
1173/1	0.061
1195	0.149
1198	
1188/2	0.044
1189	0.121
1190	0.093
1197/1	0.073
1197/2	0.073
1191	0.036

(1)	(2)
1193 1194	0.028
1045/1	0.121
1196	0.024
1197/3	0.024
1199	0.040
1188/3	0.032
योग 66	4.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चैन क्र. 2134.00 से 2169.00 तक जोंक व्यप. मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 3 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भाग को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कवर्धा
 (ख) तहसील-कवर्धा
 (ग) नगर/ग्राम-बुधवारा, प. ह. नं. 7, रा नि.मं. बोड़ला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-50.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81/4 81/5 82/4 82/5 82/6	3.69
81/1 81/2 82/1 82/2 82/3	4.20
78	1.30
76/1 76/2	1.72
77	1.68
79/2	2.00
80/1	1.38
80/3	1.39
75/1	1.40
62/1 62/2 62/3	9.15
66/4 67/6 67/9	1.32
66/3 67/5 67/7	1.33
66/2 67/2 67/4	1.32
66/1 67/1 67/8	1.33
79/1	1.43
83	1.13

	(1)	(2)
	79/3	2.00
	80/2	2.06
	75/2	1.00
	81/3	1.70
	62/4	8.11
	63/1	
	65	
	66/2	
योग	21	50.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 3 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भाग को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-राम्हेपुर, प. ह. नं. 30, रा नि.मं. कवर्धा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.62 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1/2	4.70
	8	2.52
	2	3.28
	3/1	5.99
	3/2	1.50
	4	0.40
	6/1	2.00
	6/3	0.68
	7/1	3.70
	9/1	1.07
	6/2	0.69
	7/2	3.70
	9/2	1.07
	6/4	0.69
	7/3	4.20
	11	6.43
योग	16	42.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2001

क्रमांक सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमंदा प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2184/1	0.206
272	0.024
2177/2	0.069
योग 3	0.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चांपा सरगबुंदिया बाईपास एवं फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2001

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झुलना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	1.15
30	0.18
411	0.45
38	0.15
331	0.37
329	0.22
334	0.34
336	0.18
435	0.11
378	0.59
381	0.02
384	0.22
387	0.11
390	0.32
392	0.10
426	0.21
397	0.42
402	0.13
404	0.42
409	0.22

(1)	(2)
439	0.11
437	0.17
28	1.61
36	0.06
425	0.37
434	0.07
340	0.08
330	0.30
335	0.11
339	0.21
462	0.29
379	0.23
382	0.21
385	0.06
389	0.10
391	0.33
459	0.34
394	0.32
400	0.33
403/1	0.43
407	0.24
412	0.16
440	0.25
427	0.20
29	0.21
37	0.09
457	0.17
39	0.21
406	0.24
332	0.09
403/3	0.58
343	0.15
344	0.42
428	0.26
383	0.23
386	0.16
388	0.14
445	0.31
393	0.09
395	0.24

(1)	(2)
401	0.13
403/2	0.13
408	0.51
424	1.61
410	0.31
429	3.95
430	0.30
433	0.95
458	0.27
443	0.15
460	0.59
431	0.11
438	0.19
441	0.29
444	0.28
345	0.17
432	1.91
436	0.41
442	0.18
456	0.16
342	0.05
योग	28.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिघुवा जलाशय योजना (डूबान).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.